संख्या- 04/2026/I/1251052/2026 /001-71-4099-1735-2019

प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुल सचिव,
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक-25.02.2026

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 में वृहत निर्माण योजनान्तर्गत उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा के अंतर्गत पैरामेडिकल के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के कार्य हेतु स्वीकृत कार्य योजना के अनुसार अनुमोदित धनराशि रू0 1200.00 लाख की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3680/ई/यू0पी0यू0एम0एस0/अभि0(25)/2025-26, दिनांक 10.01.2026 तथा पत्र संख्या-4019/ई/यू0पी0यू0एम0एस0/अभि0(25)/2025-26, दिनांक 04.02.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

अवगत कराना है कि उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा के अंतर्गत पैरामेडिकल कालेज के निर्माणाधीन अतिरिक्त आवासीय एवं अनावासीय नवीन भवनों के निर्माण के संबंध में मूल स्वीकृति शासनादेश संख्या-21/2015/29/71-2-2015-एस-20/2009, दिनांक-09.02.2015 द्वारा लागत रू0 58,78,86, 000 /- की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 18,82,53,000/- की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। तत्पश्चात् शासनादेश संख्या-32/2015/1091/71-2-2015-एस-20/2009, दिनांक-25.03.2015 द्वारा रू0 3,95,33,000/- , शासनादेश संख्या-89/2015/3759/71-2-2015-एस-20/2009, दिनांक-02.11.2015 द्वारा रू0 25,00,00,000/- , शासनादेश संख्या-38/2017/837/71-2-2015-एस-20/2009, दिनांक-23.03.2017 द्वारा रू0 8,06,06,000/- तथा शासनादेश संख्या-39/2017/898/71-2-2015-एस-20/2009, दिनांक-23.03.2017 द्वारा रू0 1,00,00,000/- अवमुक्त की गयी थी।

प्रश्नगत परियोजना की लागत में वृद्धि के कारण विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/ पुनरीक्षित आगणन लागत रू0 रू0 9286.36 लाख के सापेक्ष व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित लागत रू0 9034.56 लाख (नब्बे करोड चौतीस लाख छप्पन हजार मात्र) की शासनादेश संख्या-I/905847/2025, दिनांक 12.03.2025 द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। तदोपरान्त शासनादेश संख्या-11/2025/I/914743/2025, दिनांक 24.03.2025 द्वारा रू0 2,00,00,000/- तथा शासनादेश संख्या-12/2025/I/914695/2025, दिनांक 24.03.2025 द्वारा रू0 10,00,00,000/- की धनराशि अवमुक्त की गयी।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत परियोजना के सम्बन्ध में कुल सचिव, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा के संदर्भित पत्र दिनांक 10.01.2026 व 04.02.2026 द्वारा किये गये प्रस्ताव के अनुक्रम में उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा के अंतर्गत पैरामेडिकल के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के कार्य हेतु स्वीकृत कार्य योजना के अनुसार 12,00,00,000/- (रूपये बारह करोड़ मात्र) (अनुदान संख्या-31 से रू0 10,00,00,000/- एवं अनुदान संख्या-83 से रू0 2,00,00,000/-) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1)- शासनादेश संख्या-I/905847/2025, दिनांक 12.03.2025, शासनादेश संख्या-11/2025/I/914743/2025, दिनांक 24.03.2025 तथा शासनादेश संख्या-12/2025/I/914695/2025, दिनांक 24.03.2025 में अंकित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

(2)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 सपठित शासनादेश संख्या-1/2026/बी-2-01/दस-2026-244/2025, दिनांक 05 जनवरी, 2026 में विहित शर्तो का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 10,00,00,000 (रुपये दस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031050800 रूरल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सांइसेज एण्ड रिसर्च सैफई, इटावा में पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य (*2*) रुपये 2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 4210037893000 पेरामेडिकल इंस्टीट्यूट, सैफई, इटावा **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(चन्द्र शेखर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
(3) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन।
(4) निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0प्र0 प्रयागराज।
(5) कोषाधिकारी, इटावा।
(6) महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण लखनऊ।
(7) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
(8) वित्त अधिकारी उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा ।
(9) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(10) नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
(11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्द्र शेखर मिश्र)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।